रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2010/अग्रहायण 9, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 209

No. 184] DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2010/AGRAHAYANA 9, 1932 [N.C.T.D. No. 209

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 नवम्बर 2010

सं. फा. डी.ई. 4(6)(210)/ई-IV/2003/[illegible] भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 तथा इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना सं. फा. 26(49)/59/आर एण्ड एस का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद की भर्ती की पद्धति विनियमित करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(क) इन नियमों को सहायक अध्यापक (प्राथमिक) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली, 2010 कहा जाएगा ।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि.—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. अयोग्यता.—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है, और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद के भर्ती नियम :—

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सहायक अध्यापक (प्राथमिक)	4016*(2010) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है ।	श्रेणी 'ख' सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड-2 9300-34800 रुपये ग्रेड पे 4200	लागू नहीं	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं टीप-1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय ।) टीप-2 : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है
8	9	10	11	12
अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी (10+2) या इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्राथमिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम/ कनिष्ठ मूलभूत प्रशिक्षण में 2 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टीफिकेट कोर्स या प्राथमिक शिक्षा में स्नातक या समकक्ष 3. माध्यमिक सत्र पर एक विषय के रूप में हिन्दी अवश्य उत्तीर्ण की हो । टीप :—प्रत्याशी के अन्यथा सुयोग्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है ।	लागू नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
13	14
"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) : 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली सरकार —सदस्य 3. अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव के रैंक से कम न हो । —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 30th November, 2010

F. D. E. 4(6)(210)/E. IV/2003/412.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F.26(49)/59-R & S dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Teacher (Primary) in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Directorate of Education, Assistant Teacher (Primary) Recruitment Rules, 2010

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. —The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Assistant Teacher (Primary) in Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of services admissible
1	2	3	4	5	6
Assistant Teacher (Primary)	4016*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	(PB-2) Rs. 9300-34,800 (Grade Pay Rs. 4200)	N. A.	N. A.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not exceeding 30 years Note 1 : (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government. Note 2 :The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	**Essential :** 1. Senior Secondary (10+2) or Intermediate or its equivalent from a Recognized Board. 2. Two years diploma or certificate course in elementary Teachers Education Course/ Junior Basic Traning or Bachelor of Elementary Education or equivalent from a recognized Institution. 3. Must have passed Hindi as a subject at Secondary Level.	N.A.	2 Years

7	8
(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladhakh Division of J & K State, Lahul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh & Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
100% Direct Recruitment	N.A.

If a DPC exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
13		14
Group 'B' DPC (For considering confirmation)		Consultation with UPSC not necessary.
1. Principal Secretary/Secretary (Education), Government of NCT of Delhi	—Chairman	
2. Director (Education), Government of NCT of Delhi	—Member	
3. Additional Director/Additional Secretary/Joint Secretary (Education), Government of NCT of Delhi	—Member	
4. An Officer belonging to SC/ST Community not below the rank of Deputy Secretary in Government of NCT of Delhi	—Member	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.